रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 20 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 29, 1943 शक संवत्) [संख्या 47

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	823–832	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1563–1568	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	825–848	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग-9

अधिसूचना

09 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 यू0ओ0-63ए/छः पु0-9-20-167जी/09 न्याय-2–साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या यूओ–34/छः पु-9-14-167जी/09-न्याय -2, दिनांक 29 मई, 2014 आंशिक संशोधन करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीशों के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित विशेष न्यायालयों, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0, गाजियाबाद के लिये नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित क्षेत्रीय अधिकारिता का पुनर्निर्धारण करती हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम	अधिकारिता क्षेत्र (जिले)
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सीबीआई, गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, रामपुर और मैनपुरी
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सीबीआई, न्यायालय संख्या-1, गाजियाबाद	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, हाथरस, हापुड़ और सम्भल
3	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सीबीआई, न्यायालय संख्या-2, गाजियाबाद	सहारनपुर, अमरोहा (जे0पी0 नगर), एटा, बुलन्दशहर, मथुरा और कासगंज
4	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सीबीआई, न्यायालय संख्या-3, गाजियाबाद	आगरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, फिरोजाबाद और शामली।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. U.O-63(A)/VI-P-9-20-167G/09-Nyay-2,** dated April 09, 2021 :

No. U.O-63(A)/VI-P-9-20-167G/09-Nyay-2

Lucknow : dated, *April* 09, 2021

In exercise of the power under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) and (3) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) hereinafter referred to as the said Act read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 1897), and in parial modification of notification number U.O.-34/VI-P-9-14-167G/09-Nyaya-2, dated 29-05-2014, the Governer is pleased to reallocate the territorial jurisdiction as given in Coulumn-4 of the Schedule below, to the Special Courts, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad as mentioned in Column-3 of the ADJ/Special Judges as given in Column-2 of the Schedule below.

SCHEDULE

S.l.	Name of Judge	Name of the Court	Area Jurisdction (districts)
1	2	3	4
1	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad	Gautam Buddh Nagar, Aligarh, Rampur and Mainpuri
2	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court no. 1, Ghaziabad	Ghaziabad, Moradabad, Bijnor, Hathras, Hapur and Sambhal
3	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court no. 2, Ghaziabad	Saharanpur, Amroha (J.P. Nagar), Etah, Bulandshahr, Mathura and Kasganj
4	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court no. 3, Ghaziabad	Agra, Muzaffarnagar, Baghpat, Meerut, Firozabad and Shamli.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Additional Chief Secretary.

18 मई, 2021 ई0

सं0 यू0ओ0-49/छः पु0-9-21-167जी/09 न्याय-2–साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या यूओ–34/छः-पु-9-14-167जी/09-न्याय -2, दिनांक 29 मई, 2014 एवं अधिसूचना संख्या यूओ–20/छः-पु-9-15-167जी/09-न्याय -2, दिनांक 15 मई, 2015 में आंशिक संशोधन करके और अधिसूचना संख्या यूओ-63(ए)/छः-प0ु-9-20-167जी/09-न्याय-2, दिनांक 09 अप्रैल, 2021 का अधिक्रमण करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीशों के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित विशेष न्यायालयों, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0, गाजियाबाद के लिये नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित क्षेत्रीय अधिकारिता का पुनर्निर्धारण करती हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम	अधिकारिता क्षेत्र (जिले)
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सीबीआई, गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, रामपुर एवं मैनपुरी और एन0आर0एच0एम0 सम्बन्धी समस्त लम्बित मामले और साथ ही साथ ऐसे मामले जो उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण राज्य के लिये भविष्य में दायर किये जा सकते हैं के निस्तारण हेतु

1	2	3	4
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सीबीआई, न्यायालय, गाजियाबाद	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, हाथरस, हापुड़ और सम्भल
3	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सीबीआई, न्यायालय संख्या-2, गाजियाबाद	सहारनपुर, अमरोहा (जे0पी0 नगर), एटा, बुलन्दशहर, मथुरा और कासगंज
4	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध सीबीआई, न्यायालय संख्या-3, गाजियाबाद	आगरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, फिरोजाबाद और शामली।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. U.O-49(A)/VI-P-9-20-167G/09-Nyay-2,** dated May 18 , 2021 :

No. U.O-49/VI-P-9-21-167G/09-Nyay-2

Lucknow : dated, *May* 18, 2021

In exercise of the power under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) and (3) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) hereinafter referred to as the said Act read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 1897), and in partial modification of notification number U.O.-34/VI-P-9-14-167G/09-Nyaya-2, dated 29-05-2014 and notification number U.O.-20/VI-P-9-15-167G/09-Nyaya-2 dated 15-05-2015 and in supersession of notification number U.O.-63(A)/VI-P-9-20-167G/09-Nyaya-2, dated 09-04-2021 the Governor is pleased to reallocate the territorial jurisdiction as given in Column-4 of the Schedule below, to the Special Courts, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad as mentioned in Column-3 of the ADJ/Special Judges as given in Column-2 of the Schedule below :

SCHEDULE

S.l.	Name of Judge	Name of the Court	Area Jurisdction (districts)
1	2	3	4
1	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad	Gautam Buddh Nagar, Aligarh, Rampur and Mainpuri and for disposing off all NRHM pending cases, as well as cases which may be filed in future for the entire State of Uttar Pradesh

1	2	3	4
2	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court no. 1, Ghaziabad	Ghaziabad, Moradabad, Bijnor, Hathras, Hapur and Sambhal
3	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court no. 2, Ghaziabad	Saharanpur, Amroha (J.P. Nagar), Etah, Bulandshahr, Mathura and Kasganj
4	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court no. 3, Ghaziabad	Agra, Muzaffarnagar, Baghpat, Meerut, Firozabad and Shamli.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Additional Chief Secretary.

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

02 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 1894/छः-पु0से0-1-2021-डी0पी0सी0(एच0एल0)/2021—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल 13-क रु0 1,31,100-2,16,600) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, उच्च वेतनमान (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 10,000), (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 14 रु0 1,44,200-2,18,200) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	ओम प्रकाश पाण्डेय	82	1992
2	श्रवण कुमार सिंह	89	1992
3	सर्वानन्द सिंह यादव	90	1992
4	जियालाल यादव	91	1992
5	हफीजुर रहमान	94	1992

2—उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों/परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियों जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थागित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्तानुसार प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1895/छः पु0से0-1-2021-डी0पी0सी0(एस0एल0-1)/2021–उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 13 रु0 1,23,100-2,15,900) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,900), (पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल 13-क रु0 1,31,100-2,16,600) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1	लाल साहब यादव	102	1992
2	गिरिजेश कुमार	111	1992
3	डा0 मनोज कुमार	112	1992
4	प्रेम चन्द्र	113	1992
5	डा0 भीम प्रिय अशोक	114	1992
6	संजय कुमार	115	1992
7	दिनेश कुमार सिंह	117	1993
8	चन्द्र प्रकाश शुक्ला	118	1993
9	आशुतोष शुक्ला	120	1993
10	बृजेश कुमार श्रीवास्तव	121	1993
11	शैलेन्द्र कुमार राय	122	1993
12	शिवाजी	123	1993

2–उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों/परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियों जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थागित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

3–उक्तानुसार प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1896/छः पु0से0-1-2021-डी0पी0सी0(एस0एल0-2)/2021—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 12 रु0 78,800-2,09,200) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,700), (पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 13 रु0 1,23,100-2,15,900) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती—		
1	सुधाकर यादव	168	1994
2	नैपाल सिंह	173	1994
3	सुखराम भारती	184	1995
4	बलरामाचारी दुबे	185	1996
5	लक्ष्मी निवास मिश्रा	187	1996
6	राजेश कुमार श्रीवास्तव	188	1996
7	चिरंजीव नाथ सिन्हा	189	1996
8	विश्वजीत श्रीवास्तव	190	1996
9	मनोज कुमार अवस्थी	191	1996
10	अखिलेश नारायण सिंह	192	1996
11	अमृता मिश्रा	193	1996
12	सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	194	1996

2—उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों/परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियों जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थागित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्तानुसार प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-3

अधिसूचना

16 जुलाई, 2021 ई0

सं0 1984/8-3099/2182/2020—उत्तर प्रदेश राज्य के अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 57 के प्रस्तर (ङङ) सपठित धारा 12(क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि 2021 बनाते हैं—

विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि, 2021

1—संक्षिप्त नाम एवं प्रसार—

(1.1) यह उपविधि विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि, 2021 कहलायेगी।

(1.2) यह उपविधि सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में लागू होगी।

(1.3) यह उपविधि दिनांक से प्रभावी होगी।

2—परिभाषायें—

(2.1) 'अधिनियम' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है।

(2.2) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरण से है।

(2.3) 'भवन' का तात्पर्य कोई संरचना अथवा संनिर्माण अथवा संरचना अथिवा संनिर्माण का भाग, जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हों, चाहे वास्तविक उपयोग में हो अथवा नहीं, सम्मिलित है।

(2.4) 'विकास क्षेत्र' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र से है।

(2.5) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उ0प्र0 सरकार से है।

(2.6) 'अध्यासी' किसी भवन के सम्बन्ध में अध्यासी का अर्थ भवन के वास्तविक अध्यासन अथवा उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है, तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

[i] स्वामी (इस पद में अभिकर्ता अथवा ट्रस्टी अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया रिसीवर, प्रशासक अथवा प्रबंधक अथवा भवन में काबिज बन्ध की सम्मिलित होंगे), जो अध्यासन में हो,

[ii] किरायेदार, जो तत्समय उसके सम्बन्ध में स्वामी को किराया देता हो अथवा देने के लिये उत्तरदायी हो,

[iii] उसका किराया युक्त गारण्टी अथवा अनुज्ञप्तिधारी,

[iv] व्यक्ति, जो उसके अनधिकृत उपयोग और अध्यासन के लिये स्वामी को क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी हो।

(2.7) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है।

3–उपविधि की प्रयोज्यता–

(3.1) यह उपविधि किसी विकास क्षेत्र में ऐसे भवन जो पूर्णतः गैर आवासीय प्रयोजनों हेतु अध्यासित हो अथवा आंशिक रूप से आवासीय और आंशिक रूप से गैर आवासीय प्रयोजनों हेतु अध्यासित हो तथा मुख्य सड़क से सटा हो, तो ऐसे भवन के अध्यासी द्वारा अपनी लगात से भवन के अग्रभाग की मरम्मत, सफेदी रंगाई अथवा पेंट कराने हेतु प्रयोज्य होगी।

4–अनुमन्यता–

(4.1) ऐसे मुख्य मार्गों पर जहां प्राधिकरण द्वारा किसी रंग योजना अथवा उसके लिये अन्य विशिष्टयों के अनुसार साम्यता सुनिश्चित करना आवश्यक समझे, ऐसा करना आवश्यक एवं अपरिहार्य समझा जायेगा। इन मार्गों पर पूर्णतः गैर आवासीय प्रयोजनों हेतु अधियासित अथवा आंशिक रूप से आवासीय और आंशिक रूप से गैर आवासीय प्रयोजनों हेतु अधियासित भवनों के अग्रभाग की मरम्मत, सफेदी, रंगाई अथवा पेंट कराने का कार्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रंग योजना एवं अन्य विशिष्टियों के अनुरूप अनुमन्य होगा।

5–मुख्य मार्ग की चौड़ाई–

(5.1) भवनों के अग्रभाग के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु चिन्हित किये जाने वाले मुख्य मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6–रंग योजना अथवा अन्य विशिष्टियों का निर्धारण–

(6.1) प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य हेतु मुख्य मार्ग/मार्गों को चिन्हांकित करने के उपरान्त रंग योजना एवं विशिष्टयों का निर्धारण किया जायेगा, जिसकी सूचना उक्त मार्ग के अध्यासियों को समाचार-पत्रों अथवा अन्य प्रसार-प्रचार के माध्यम से दी जायेगी।

7–भवनों के अग्रभाग के अनुरक्षण एवं मरम्मत का तात्पर्य–

(7.1) भवन के अग्रभाग के अनुरक्षण हेतु किये जाने वाले आवश्यक मरम्मत कार्य।

(7.2) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रंग योजना एवं अन्य विशिष्टियां।

(7.3) भवन के अग्रभाग में लगाये जाने वाले नाम पट्टिका, विज्ञापन पट्टिका आदि के आकार व रंग में एकरूपता निश्चित करना जैसा कि प्राधिकरण निर्धारित करें।

8–भवनों के अग्रभाग की मरम्मत, सफेदी एवं रंगाई–

(8.1) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रंग योजना अथवा अन्य विशिष्टियों के अनुसार अध्यासी द्वारा स्वयं मरम्मत, सफेदी एवं रंगाई का कार्य कराया जायेगा।

(8.2) जहां कोई अध्यासी, उक्त कार्य कराने में असफल रहेंगे वहां यह कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वयं अथवा उसके निर्देशानुसार किया जायेगा तथा तद्नुसार इस कार्य की लागत को अध्यासी द्वारा प्राधिकरण में जमा कराया जायेगा।

(8.3) यदि किसी अध्यासी द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक लागत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह लागत उपाध्याक्ष के निर्देश पर भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जा सकेगी।

9–भवनों के अग्रभाग के अनुरक्षण एवं मरम्मत में आने वाले व्यय की गणना–

(9.1) इस कार्य की लागत बिना लाभ, बिना हानि के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी।

10–भवनों के अग्रभाग के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु समय-सारिणी–

(10.1) भवनों के अग्रभाग की मरम्मत सफेदी एवं रंगाई हेतु मार्ग के चिन्हांकन एवं विस्तृत प्रचार एवं प्रसार करने के उपरान्त उक्त कार्य सम्पन्न करने के लिये अध्यासी को अधिकतम छः माह का समय प्रदान किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में इस समय-सीमा को उपाध्याक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

अनुभाग-8

13 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 2071/आठ-8-2021-40एल0यू0सी0/2019—और, चूंकि राज्य सरकार ने उपजिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़ महायोजना, 2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय प्रमुख समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" एवं "अमर उजाला" के संस्करण में दिनांक 31 अगस्त, 2021 एवं दिनांक 01 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये, इसलिये समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी किये गये उत्तर प्रदेश (निर्माण विनियमन) निदेश 1960 के पैरा-10ख के उपबन्धों के अनुसरण में नौगढ़ महायोजना, 2021 की महायोजना में राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन गजट में प्रकाशित किये जायेंगे। महायोजना में किये गये उक्त संशोधनों की प्रति किसी कार्य दिवस में उपजिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	नौगढ़ महायोजना, 2021 में निर्दिष्ट भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1	मुड़िला	31-मि0	0.019	सीवेज फार्म	सार्वजनिक सुविधायें (मेडिकल कालेज)
2		36-मि0	0.480	" "	
3		37-मि0	0.308	" "	
4		38-मि0	0.160	" "	
5		39-मि0	0.020	" "	
6		79-मि0	0.657	" "	
7		82-मि0	0.107	" "	
8		83-मि0	0.120	" "	
9		85-मि0	0.331	" "	
10		86-मि0	0.125	कारागार	
11		88-मि0	0.321	" "	
12		89-मि0	0.468	" "	
13		90-मि0	0.012	" "	
14		91-मि0	0.130	" "	
		योग . .	3.258		

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—34 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 29, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

April 09, 2021

No. 271/Admin.(Services)-2021–Sri Rajesh Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 272/Admin.(Services)-2021–Sri Suresh Chand-II, Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 273/Admin.(Services)-2021–Sri Gyan Prakash Singh, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-Corruption (VBUPSEB), Meerut *vice* Smt. Kiran Bala.

No. 274/Admin.(Services)-2021–Smt. Kiran Bala, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 275/Admin.(Services)-2021–Sri Vijay Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Special Judge, Rampur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Arvind Kumar Srivastava.

No. 276/Admin.(Services)-2021–Sri Arvind Kumar Srivatava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Special Judge, Jaunpur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ramesh Dubey.

No. 277/Admin.(Services)-2021–Sri Ramesh Dubey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 278/Admin.(Services)-2021–Sri Mahendra Singh-IV, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions

Judge/Special Judge, Farrukhabad *vice* Sri Vijay Kumar Gupta-I.

He is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Farrukhabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 279/Admin.(Services)-2021–Sri Vijay Kumar Gupta-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad to be Special Judge, Farrukhabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Yadavendra Singh.

No. 280/Admin.(Services)-2021–Sri Yadavendra Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad to be Special Judge, Bulandshahar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Indira Singh.

No. 281/Admin.(Services)-2021–Smt. Indira Singh, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Bulanshahar to be Additional District & Sessions Judge, Deoria.

No. 282/Admin.(Services)-2021–Sri Satyendra Nath Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Deoria to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 283/Admin.(Services)-2021–Sri Anil Kumar Kharwar, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

No. 284/Admin.(Services)-2021–Smt. Sandeepa Yadav, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Special Judge, Mahoba for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Santosh Kumar-III.

No. 285/Admin.(Services)-2021–Sri Santosh Kumar-III, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Mahoba to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 286/Admin.(Services)-2021–Sri Sudama Prasad, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Shravasti at Bhinga.

No. 287/Admin.(Services)-2021–Sri Avanish Kumar Rai, Additional District & Sessions Judge, Mahoba to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Mahoba against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission.

No. 288/Admin.(Services)-2021–Sri Dinesh Pratap Singh, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Special Judge, Sant Kabir Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Jainuddin Ansari.

No. 289/Admin.(Services)-2021–Sri Jainuddin Ansari, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar.

No. 290/Admin.(Services)-2021–Sri Deep Kant Mani, Aditional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Muzaffar Nagar for trying cases of crime against women *vice* Smt. Madhu Gupta.

No. 291/Admin.(Services)-2021–Smt. Madhu Gupta, Aditional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Muzaffar Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 292/Admin.(Services)-2021–Sri Anurag Kureel, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 293/Admin.(Services)-2021–Sri Pradeep Kumar-III, Additional District & Sessions Judge,

Agra to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 294/Admin.(Services)-2021–Smt. Anu Saxena, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Banda.

No. 295/Admin.(Services)-2021–Sri Vinod Kumar Jaiswal, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna.

No. 296/Admin.(Services)-2021–Sri Rajesh Upadhyay, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Special Judge, Kushinagar at Padrauna for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Shalini Sagar.

No. 297/Admin.(Services)-2021–Smt. Shalini Sagar, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 298/Admin.(Services)-2021–Smt. Amrita Shukla, Additional Principal Judge, Family Court, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai.

No. 299/Admin.(Services)-2021–Dr. (Smt.) Reema Bansal, Additional Principal Judge, Family Court, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 300/Admin.(Services)-2021–Sri Ajay Krishna, Additional Principal Judge, Family Court, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 301/Admin.(Services)-2021–Sri Ramayan Sharma, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

No. 302/Admin.(Services)-2021–Sri Prithvi Pal Yadav, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Special Judge, Fatehpur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ravi Karan Singh.

No. 303/Admin.(Services)-2021–Sri Ravi Karan Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra *vice* Sri Ahmad Ulla Khan.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 304/Admin.(Services)-2021–Sri Ahmad Ulla Khan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge Fatehpur.

No. 305/Admin.(Services)-2021–Sri Navneet Kumar Giri, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge Sultanpur.

No. 306/Admin.(Services)-2021–Sri Manoj Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sultanpur *vice* Sri Amit Kumar Prajapati.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as special Judge at Sultanpur against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 307/Admin.(Services)-2021–Sri Amit Kumar Prajapati, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 308/Admin.(Services)-2021–Sri Rakesh Vashist, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pilibhit *vice* Sri Rajeev Singh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions)

Act, 1981 as Special Judge at Pilibhit against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 309/Admin.(Services)-2021–Sri Rajeev Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pilibhit Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pilibhit against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacant court.

No. 310/Admin.(Services)-2021–Sri Pramod Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Family Court, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Meerut *vice* Sri Ratnesh Mani Tripathi.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Meerut against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 311/Admin.(Services)-2021–Sri Ratnesh Mani Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Special Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Akhileshwar Prasad Mishra.

No. 312/Admin.(Services)-2021–Sri Akhileswar Prasad Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 313/Admin.(Services)-2021–Sri Rohit Singh, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 314/Admin.(Services)-2021–Sri Suyash Prakash Srivastava, Additional Principal Judge Family Court, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi *vice* Km. Indu Dwivedi.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Jhansi against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 315/Admin.(Services)-2021–Km. Indu Dwivedi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi *vice* Smt. Mamta Gupta.

She is also appointed under section 5 (2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Jhansi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 316/Admin.(Services)-2021–Smt. Mamta Gupta, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Special Judge, Jhansi for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive Special Court *vice* Sri Jaitendra Kumar.

No. 317/Admin.(Services)-2021–Sri Jaitendra Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 318/Admin.(Services)-2021–Sri Sanjay Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 319/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Suchit, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 320/Admin.(Services)-2021–Sri Siddharth Singh, Additional District & Sessions Judge, Rae Bareli to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 321/Admin.(Services)-2021–Sri Vijay Kumar Verma-I, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 322/Admin.(Services)-2021–Sri Ombir, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 323/Admin.(Services)-2021–Sri Tribhuwan Nath Paswan, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 324/Admin.(Services)-2021–Sri Rajesh Narayan Mani Tripathi, Additional Principal Judge, Family Court, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 325/Admin.(Services)-2021–Sri Alok Kumar Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 326/Admin.(Services)-2021–Sri Ashish Verma, Additional Principal Judge, Family Court, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 327/Admin.(Services)-2021–Smt. Neha Anand, Additional Principal Judge, Family Court, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 328/Admin.(Services)-2021–Sri Birendra Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 329/Admin.(Services)-2021–Sushri Nirupama Vikram, Additional Principal Judge, Family Court, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 330/Admin.(Services)-2021–Sri Mohd. Babar Khan, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hardoi for trying cases of crime against women *vice* Sri Abhishek Sinha.

No. 331/Admin.(Services)-2021–Sri Abhishek Sinha, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 332/Admin.(Services)-2021–Sri Mahesh Chandra Verma, Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 333/Admin.(Services)-2021–Sri Pratham Kant, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 334/Admin.(Services)-2021–Sri Rakesh Patel, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Deoria.

No. 335/Admin.(Services)-2021–Smt. Kalpana-II, Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Etawah against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Kamalesh Kumar Maurya.

No. 336/Admin.(Services)-2021–Sri Kamalesh Kumar Maurya, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Etawah to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ambedkar Nagar at Akbarpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacant court.

No. 337/Admin.(Services)-2021–Sri Ramendra Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lakhimpur-Kheri *vice* Sri Nirmal Chandra Semwal.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Lakhimpur Kheri against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 338/Admin.(Services)-2021–Sri Nirmal Chandra Semwal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 339/Admin.(Services)-2021–Sri Krishna Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Baghpat to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Baghpat for trying cases of crime against women *vice* Smt. Mitali Govind Rao.

No. 340/Admin.(Services)-2021–Smt. Mitali Govind Rao, Additional District & Sessions Judge,

(Fast Track Court), Baghpat to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 341/Admin.(Services)-2021–Sri Manoj Kumar Misra-II, Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bahraich for trying cases of crime against women *vice* Sri Nitin Pandey.

No. 342/Admin.(Services)-2021–Sri Nitin Pandey, Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge (Fast Tack Court), Bahraich against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacant court.

No. 343/Admin.(Services)-2021–Sri Jeetendra Kumar Dwivedi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 344/Admin.(Services)-2021–Sri Gyanendra Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Ram Karan Yadav.

No. 345/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Karan Yadav, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur to be Additional District & Sessions Judge Meerut.

No. 346/Admin.(Services)-2021–Sri Surendra Kumar Rai, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Rampur for trying cases of crime against women *vice* Sri Pradeep Kumar-IV.

No. 347/Admin.(Services)-2021–Sri Pradeep Kumar-IV, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Rampur.

No. 348/Admin.(Services)-2021–Sri Amit Kumar Pande, Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Special Judge, Faizabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive Special Court *vice* Sri Asad Ahmad Hashmi.

No. 349/Admin.(Services)-2021–Sri Asad Ahmad Hashmi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Faizabad *vice* Sri Satish Kumar Tripathi.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Faizabad against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 350/Admin.(Services)-2021–Sri Satish Kumar Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge, Faizabad.

No. 351/Admin.(Services)-2021–Sri Daya Ram-V, Additional Principal Judge, Family Court, Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 352/Admin.(Services)-2021–Sri Balkrishna N. Ranjan, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

पी0एस0यू0पी0–34 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 29, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत महरौनी (ललितपुर)

12 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 4096/न0पं0महरौनी (2020-21)–नगर पंचायत महरौनी के बोर्ड वैठक दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या 11 के अनुपालन में उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत महरौनी, जिला ललितपुर की सीमा हेतु ''उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर क्रय) नियमावली–2020'' प्रस्तावित करती है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत महरौनी, ललितपुर के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं। जिसका नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा परन्तु 30 दिन के बाद प्राप्त आपत्ति व सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नगर पंचायत महरौनी, ललितपुर में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण के पश्चात् उक्त प्रस्तावित ''उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली–2020'' उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगरपालिका पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत महरौनी, ललितपुर में ''उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020'' कहलायेगी जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020'' कही जायेगी।

(2) यह नगर पंचायत महरौनी, ललितपुर की सीमा में लागू होगा।

(3) यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत महरौनी में प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें–

(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य ''उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916'' से है।

(ख) ''वार्षिक मूल्य'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।

(ग) ''फर्शी क्षेत्रफल'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट फर्शी क्षेत्रफल से है।

(घ) ''आच्छादित क्षेत्रफल'' का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है जिस पर भवन निर्मित हो।

(ड़) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न किसी प्रपत्र से है।

(च) ''भवन समूह'' का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भवन समूह से है।

(छ) ''भू समूह'' का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भू-समूह से है।

(ज) ''कच्चा भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का भवन न हो।

(झ) ''मासिक किराया दर'' का तात्पर्य नियम 5 के अनुसार अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित, यथास्थिति किसी भवन के फर्शी क्षेत्रफल या भूमि के प्रति वर्गफुट मासिक किराया से है।

(ञ) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत महरौनी से है।

(ट) ''अनावासीय भवन'' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या भूमि या गृह या उसके आंशिक भाग से है जो आवासिक न हो और जो अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अधीन आच्छादित हो।

(ठ) ''अधिसूचित बैंक'' का तात्पर्य स्वः निर्धारण विवरण के साथ कर धनराशि को जमा करने के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है।

(ड) ''अन्य पक्का भवन'' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवार पक्की हो और छत, एस्बेस्टस शीट या फाइबर, ग्लास या ऐसी ही अन्य प्रकार की सामग्रियों से तैयार हो और फर्श में मार्बल, टाईल्स, मौजेक या उसी प्रकार की अन्य सामग्रियों का प्रयोग न किया गया हो।

(ढ़) ''पक्का भवन'' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें ईट या पत्थर या अन्य सामान सामग्री से निर्मित हो अथवा जिसके आधार खम्भे आदि स्टील, लौह, ग्लास या अन्य समान प्रकार की धातुओं से निर्मित हो।

(ण) ''सम्पत्ति'' का तात्पर्य यथास्थिति, किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(त) ''आवासिक भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो और उनमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित होगा जिनमें आवासिक उपयोग का उपबंध हो किन्तु जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया जा रहा कोई होटल, लाज या कोई अन्य भवन सम्मिलित नहीं होगा।

(थ) ''स्वः निर्धारण विवरण'' का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र ''क'' या ''ग'' में भरे जाने वाले स्वः निर्धारण विवरण से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त एवं अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. किसी भवन या भूखण्ड के फर्शी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्र का विवरण–

(1) अधिशासी अधिकारी, कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर करों के भुगतान के लिये दायी स्वामियों या अध्यासियों से प्रपत्र ''ख'' और प्रपत्र ''घ'' में यथास्थिति आवासिक भवन या भूखण्ड के फर्सी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्रफल या अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक दो वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिये प्रपत्र ''ख'' और ''घ'' में विवरण प्रस्तुत करने के लिये नगर के विभिन्न वार्डों के लिये विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिये प्रपत्र ''ख'' और ''घ'' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

(4) जब कभी निर्माण या पुनर्निर्माण के कारण आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का सम्बद्धन किया जाता है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से साठ दिन के भीतर, यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिये प्रपत्र ''ख'' और ''घ'' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

4–सम्पत्ति का वर्गीकरण–

(1) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर चार विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात :–

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग,

(ख) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग,

(ग) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग,

(घ) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग,

(2) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा–

(क) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर.बी. छत सहित,

(ख) अन्य पक्का भवन,

(ग) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।

(3) अधिशासी अधिकारी, तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाए गये अनुसार समस्त भवनों को अधिकतम बारह विभिन्न समूहों की संख्या में और समस्त रिक्त भूखण्डों के मामले में अधिकतम चार विभिन्न समूहों की संख्या में व्यवस्थित करेगा–

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित बारह समूह होंगे :–

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।

(चार) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(पांच) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छः) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(आठ) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(नौ) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य कच्चा भवन।

(दस) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ग्यारह) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(बारह) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामलों में निम्नलिखित चार समूह होंगे :–

(एक) 24 मीटर से अधिक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(चार) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

5–न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण–

(1) अधिशासी अधिकारी, वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति प्रत्येक भवन समूह के लिये फर्शी क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (रूपये प्रति वर्गफुट) हेतु न्यूनतम मासिक किराये की दर या प्रत्येक भूमि समूह के लिये क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये आवासिक भवन या भूमि के रूप में किराया दर नियत करेगा–

(क) भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर और

(ख) ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्र में वर्तमान न्यूनतम किराया दर : परन्तु यह कि ऐसे मासिक किराये की दर प्रति इकाई क्षेत्रफल नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिये न्यूनतम पन्द्रह दिन का समय देगा। किसी बार्ड में प्राप्त आपत्तियों का भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिये प्राप्त आपत्तियां अन्तर्विष्ट रहेंगी। समस्त आपत्तियों का निस्तारण, अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि समस्त आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–भवन, भूमि या दोनों के स्वकर निर्धारण के प्रयोजनार्थ 80 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल को फर्शी क्षेत्रफल के रूप में माना जा सकता है।

(2) अनावासिक भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उपनियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है–

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	सरकारी अथवा गैर सरकारी छात्रावास, स्वीमिंग पूल, क्रीडा केन्द्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोहों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, संगीत एवं नृत्यकेन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औद्यौगिक इकाईयां (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमाघर (जो माल्स में स्थित नहीं है), 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की चाय, दूध डबलरोटी, अंडों, धोबी,लांड्री, फल, सब्जी, फोटोस्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सियां न हों और जिसमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान
2	महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं वृहद उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित स्पोर्ट काम्पलैक्स, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेंटर।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का दो गुना
3	सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथोलाजी लैब, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथिरैपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडीकल कालेज एवं डेंटल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब/विवाह घर, आडीटोरियम (प्रेक्षागृह) सामुदायिक केन्द्र, स्टाररहित होटल, एक सितारा और उससे ऊपर के होटल, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूर संचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं, बैंक, बैंक ए०टी०एम०, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना
4	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना

नोट–

1–200 वर्गफुट में निर्मित कच्चा, अर्द्धकच्चा एवं पक्का मकान कर मुक्त रहेगा।

2–विधवा, विकलांग, बेसहारा एवं अन्त्योदय परिवार कर मुक्त रहेगें।

3–सम्पत्ति की स्वामिनी महिला होने पर कर की दर आधी होगी।

4–10वर्ष से अधिक तथा 20वर्ष तक पुराना मकान होने पर कर की दर में 20% तक छूट दी जायेगी।

5–20वर्ष से अधिक तथा 50वर्ष तक पुराना मकान होने पर कर की दर में 30% तक छूट दी जायेगी।

6–50वर्ष से अधिक पुराना मकान होने पर कर की दर में 50% तक छूट दी जायेगी।

7–प्रत्येक भवन (आवासीय/अनावासीय) के भूतल की दरों के सापेक्ष प्रथम तल की दरें आधी, द्वितीय तल की दरें एक चौथाई तथा इसी प्रकार अन्य तलों में क्रमशः घटती जायेंगी। इसी प्रकार पृथ्वी के अन्दर की दरें भी क्रमशः घटती जायेंगी।

(3) नगर पंचायत को, उपनियम (2) की अनुसूची की श्रेणी–2 और श्रेणी–3 के अधीन गुणांक बढ़ाने का अधिकार होगा। वह संकल्प द्वारा उसे उपनियम (1) के अधीन आवासिक भवनों हेतु नियत दर का क्रमशः तीन गुना और चार गुना तक नियत कर सकेगा।

6–न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन–

जब नियम 5 के अधीन आपत्तियों का विनिश्चय कर लिया जाये तो अधिशासी अधिकारी ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में यथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिये, फर्शी क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग

फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिये क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट लागू किराये की न्यूनतम मासिक दर अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अंतिम हो जायेगी।

7–कर निर्धारण–

(1) कर का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जायेगा –

(क) (एक) आवासीय भवन के वार्षिक मूल्य की गणना–

फर्शी क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

(दो) आवासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना–

भूमि का क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

(ख) (एक) अनावासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना–

आच्छादित क्षेत्रफल × आवासिक भवन की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर × 12

(दो) अनावासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना–

भूमि का क्षेत्रफल × आवासिक भूमि की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर × 12

(2) **संदेय कर**–अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियत दरों के अनुसार कर वार्षिक मूल्य के आधार पर संदेय होंगे।

(3) **सेवा प्रभार**–उपनियम (2) के आधार पर निर्धारित कर के 75%, 50% या 33.33% दर पर आगणित सेवा प्रभार नगर पंचायत के माध्यम से उपबंधित पूर्ण या आंशिक या शून्य सेवाओं के उपयोग के आधार भारत संघ या उसके विभागों द्वारा संदेय होंगे। भारत संघ या उसके विभागों द्वारा पूर्ण या आंशिक सेवाओं पर सेवा प्रभार उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 4 गुना होगा।

(4)**स्व निर्धारण**–भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर भुगतान के लिये मुख्यतः दायी व्यक्ति, नियम 4 और नियम 7 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित कर, नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ यथास्थिति प्रपत्र 'क' या प्रपत्र 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुये अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित अधिसूचित बैंकों या अन्य स्थानों में नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक चालान के साथ जमा करेगा।

(5) **प्रोत्साहन**–अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को प्रोत्साहनॉ यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में निम्नलिखित रीति से प्रदान किया जा सकता है,

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचालन में हो या कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षारोपण और हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित और पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या यदि व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो किन्तु प्रभावकारी प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गये हों तो उसके वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुये प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यह कि उपर्युक्त प्रोत्साहन इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रख-रखाव का सत्यापन करने के पश्चात् वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान किये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवन के वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी, यदि उक्त भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय उपबंधित न किये गये हों।

8–निर्धारण सूची–

(1)समस्त भवनों या भूमियों या दोनों के सम्बन्ध में निर्धारण सूची कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी–

(क) भवनों तथा भूमियों के संबंधित स्वामियों या अध्यासियों द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में प्रस्तुत किये गये विवरण या

(ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा इस निमित्त संग्रहीत सूचना, जहां प्रपत्र क,ख,ग या घर में सूचनायें विहित समय के भीतर प्रस्तुत न की जाय। इस स्थिति में फर्शी क्षेत्रफल की गणना भवन के आच्छादित क्षेत्रफल के 80% के आधार पर की जायेगी।

(ग) निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे–

(एक) सड़क और मोहल्ले, जिनमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,

(दो) नाम, संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि, जो पहचान के लिये पर्याप्त हो, द्वारा सम्पत्ति का अभिधान

(तीन) स्वामी का नाम, चाहे सम्पत्ति स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो। यदि किराये पर हो तो, किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भूमि समूह के लिये फर्शी क्षेत्रफल आधारित तथा फर्शी क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्गफुट न्यूनतम मासिक किराया दर,

(पांच) भवन का फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छः) भवन निर्माण का वर्ष,

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति,

(2) स्वकर निर्धारण से सम्बन्धित सूची–ऐसे आवासिक भवन, जिनके लिये स्वानिर्धारित कर प्रपत्र-क में और ऐसे अनावासिक भवन जिनके लिये स्वनिर्धारित कर प्रपत्र-ग में विहित समय के भीतर जमा कर दिये गये हों, उपनियम (1) में तैयार की गयी निर्धारण सूची में प्रविष्ट किये जायेंगे।

परन्तु यह कि किसी शिकायत या जांच के आधार परॉ यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

9–सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति–

(1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग को निर्धारण सूची तैयार हो जाय तब नगर पंचायत या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहां और जब उक्त सूची का निरीक्षण किया जाये, ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूटों के सम्बन्ध में आपत्तियां, अधिशासी अधिकारी को संबोधित करके सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के पश्चात् एक माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात् मासिक किराया दर के निर्धारण से सम्बन्धित किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) नगर पंचायत या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

10–करों का भुगतान–

अधिशाषी अधिकारी, नियम 4, 7 और 8 के अधीन भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को, उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक उपदर्शित किया जायेगा जब तक यह अधिसूचित बैंकों या नगर पंचायत के कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि विहित दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उस धनराशि पर, जो असंदत्त रह गयी हो, बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, कर भुगतान के लिये निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक संदेय होगा।

11–स्वकर निर्धारण–

भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्वयं अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित कर को स्व निर्धारण विवरण के साथ आनलाइन, चैक, संदाय आदेश या अन्य उपयुक्त ढंग से अधिसूचित बैंक या नगर पंचायत कार्यालय में जमा कर सकता है।

12–शास्ति–

(1) अधिशासी अधिकारी यथास्थिति, प्रस्तुत किये गये भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के विवरणों या स्व निर्धारण के अन्य विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की यादि्च्छक जांच की व्यवस्था करेगा और ऐसे मामलों में जहां भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया हो या तदसंबंध में त्रुटि पूर्ण विवरण दिया गया हो, वहां वह यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को दो सप्ताह के भीतर यह कारण बताने का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण कर में होने वाले अन्तर के अनधिक चार गुने की शास्ति अधिरोपित की जाय।

(2) यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच जैसा कि वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति जो नोटिस के अनुसार अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है और कर धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) और (3) के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में, अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो भूमि के क्षेत्रफल 50 वर्ग मी०, 200 वर्ग मी०, 400 वर्ग मी० तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः रु0 100.00, रु0 1,000.00, रु0 5,000.00 तथा रु0 25,000.00 हो सकती है। परन्तु यह कि 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में, शास्ति का 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा। नियम 8 के अधीन निर्धारण सूची तैयार करते समय नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में नियम 4 के अधीन प्रस्तावित फर्शी क्षेत्रफल की दरों का प्रयोग शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 3 के उपनियम (4) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा सम्पत्ति कर की दोगुनी धनराशि अथवा प्रतिदिन रु0 500.00 की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

13–शास्ति का प्रशमन–

नियम 12 के उपनियम (1), (3) और (4) के अधीन अधिशासी अधिकारी द्वारा शास्तियों का गुणावगुण के आधार पर प्रशमन, शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनधिक धनराशि पर किया जा सकता है।

14–विशेष उपबन्ध–

(1) नगर पंचायत में स्थित सम्पत्तियों का मूल्यांकन और निर्धारण इस नियमावली के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 06 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(2) नगर पंचायत में करों की बसूली की समीक्षा अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह तीसरे दिनांक तक की जायेगी।

(3) बिल और मांग की नोटिस तामील कराने के अतिरिक्त, मांग तथा संग्रह का विवरण करदाता के मोबाइल फोन पर सन्देश, ई-मेल और अन्य आधुनिक इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लक्ष्य के सापेक्ष कमी होने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा।

प्रपत्र 'क'

(नियम–7 देखिये)

आवासिक भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्व-निर्धारण प्रपत्र

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/गृह/भूखण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण– यदि कोई हो.....

2– भवन या भूमि का विवरण–

क–(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(तीन) अन्य ब्यौरा– यदि कोई हो.....

ख–(एक) समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

(दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

(तीन) समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

टिप्पणी–स्नानागारों, शौचालयों, पोर्टिको और सीढी द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

ग–भवन का फर्शी क्षेत्रफल– ख(एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4ख (तीन)

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% [क(एक)×80%]

3–अवस्थिति का विवरण–

क–भवन या भूमि अवस्थित है–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(चार) 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

ख–भवन निर्माण की प्रकृति–

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन..... ☐

(दो) अन्य पक्का भवन..... ☐

(तीन) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हों.... ☐

ग–भूमि (यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो) अवस्थित है–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर..... ☐

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

(चार) 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो.....

5–भवन निर्माण का वर्ष.....

6–वार्षिक मूल्य की गणना –

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिये निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर (प्रति वर्गफुट)

(दो) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिये निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर

(तीन) भवन का वार्षिक मूल्य =12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर × भवन का फर्शी क्षेत्रफल = 12 × 6 (एक) × ग

(चार) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर × भूमि का क्षेत्रफल = 12 X 6 (दो) × 2क (दो)

(पांच) धारा 140 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट के पश्चात् स्वामी द्वारा अध्यासित होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य.....

(छः) धारा 140 (2) (ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि के पश्चात् किराये पर होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य.....

7–कर की गणना–

(एक) भवन के वार्षिक मूल्य पर कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर)}}{100}$ =.....

(दो) भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो =

$\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर)}}{100}$ =.....

(तीन) जल निकास कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर)}}{100}$ =.....

8–अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने हेतु निर्धारित नियत दिनांक.....

9–जमा किये गये कर का विवरण–

क्रम सं0	कर	धनराशि	दिनांक	चालान/रसीद संख्या	बैंक का नाम

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला .....में स्थित भवन संख्या..... भवन यू०आई०डी०..... का स्वामी/अध्यासी एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य उल्लिखित है।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

पूरा नाम..... स्थायी पता.....

पिन कोड..... दूरभाष/मोबाइल नं०.....

ई–मेल..... अनुप्रमाणक साक्षी.....

नाम..... पिता का नाम.....

पूरा पता.....

प्रपत्र 'ख'

(नियम–3 देखिये)

अनावासीय भवन या भूमि या दोनों के विवरण के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिये प्रपत्र

(उनके लिये जिन्होंने प्रपत्र-क नहीं प्रस्तुत किया है)

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/गृह/भूखण्ड संख्या और आवासीय पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

क–(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

ख–(एक) समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

(दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

(तीन) समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

टिप्पणी–स्नानागारों, शौचालयों, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

ग–भवन का फर्शी क्षेत्रफल– ख (एक)+1/2 ख (दो)+ 1/4 ख (तीन)

या आच्छादित क्षेत्रफल का 80% = क(एक) × 80%

3–अवस्थिति का विवरण–

क–भवन या भूमि अवस्थित है :–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

(चार) 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

ख–भवन निर्माण की प्रकृति–

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन..... ☐

(दो) अन्य पक्का भवन..... ☐

(तीन) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हों.... ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो.....

5–भवन निर्माण का वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला .....में स्थित भवन/भूमि संख्या..... भवन/भूमि/यू०आई०डी०.....का स्वामी/अध्यासी एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिया गया कोई विवरण न तो छिपाया गया है और न ही असत्य उल्लिखित है।

दिनांक.....
अनुप्रमाणक साक्षी.....
हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता का नाम.....
पूरा पता.....

पूरा नाम.....
स्थायी पता.....
पिन कोड.....
दूरभाष/मोबाइल नं०.....
ई–मेल.....
दूरभाष/मोबाइल नं०.....

प्रपत्र 'ग'

(नियम–7 देखिये)

अनावासिक भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का स्व-निर्धारण प्रपत्र

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
(तीन) भवन/गृह/भूखण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता.....
(चार) भवन/भूखण्ड स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....
(पांच) अन्य विवरण– यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
(तीन) अन्य ब्यौरा– यदि कोई हो.....

3–अवस्थिति का विवरण–

क–भवन या भूमि अवस्थित है :–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐
(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐
(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐
(चार) 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

ख–भवन निर्माण की प्रकृति–

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाला पक्का भवन..... ☐
(दो) अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस/फाइवर या टीनशेड..... ☐
(तीन) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हों.... ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–भवन निर्माण का वर्ष.....

5–पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

6–वार्षिक मूल्य की गणना–

(क) भवन का वार्षिक मूल्य

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराया दर.....
(दो) आवासिक भवन की दर से सम्बन्धित गुणांक.....
(तीन) भवन हेतु प्राप्त मासिक किराया दर (एक)×(दो) .....
(चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल.....

(पांच) भवन का वार्षिक मूल्य= मासिक किराया दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 (तीन × चार × 12)

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भूमि के लिये निर्धारित मासिक किराया दर.....

(दो) नियमावली में विहित आवासिक भूमि की दर से सम्बन्धित गुणांक.....

(तीन) भूमि के लिये प्राप्त मासिक किराया दर (एक) × (दो) .....

(चार) भूमि का क्षेत्रफल.....

(पांच) भवन का वार्षिक मूल्य= मासिक किराया दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 (तीन × चार × 12)

(ग) कुल वार्षिक मूल्य = (क) (पांच)+(ख) (पांच)

7–कर की गणना–

(एक) भवन के वार्षिक मूल्य पर कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य × कर की दर)}}{100}$ =.....

(दो) जलकर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य × कर की दर)}}{100}$ =.....

(तीन) जल निकास कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य × कर की दर)}}{100}$ =.....

8–अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिये नियत दिनांक.....

9–जमा किये गये कर का विवरण :–

क्रम सं0	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान/रसीद संख्या	दिनांक	बैंक/कार्यालय का नाम

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला .....में स्थित भवन संख्या..... /भवन यू०आई०डी०... .....का स्वामी/अध्यासी.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य हैं।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

अनुप्रमाणक साक्षी..... पूरा नाम.....

हस्ताक्षर..... स्थायी पता.....

नाम..... पिन कोड.....

पिता का नाम..... दूरभाष/मोबाइल नं०.....

पूरा पता..... ई–मेल.....

दूरभाष/मोबाइल नं०.....

प्रपत्र 'घ'

(नियम–3 देखिये)

अनावासीय भवन के भवन या भूमि या दोनों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिये प्रपत्र

(उनके लिये जिन्होंने प्रपत्र-ग नहीं प्रस्तुत किया है)

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/भूखण्ड की संख्या और अवस्थिति का पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

3–अवस्थिति का विवरण–

क–भवन या भूमि अवस्थित है :–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..............................

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर........................

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर.......................

(चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर.............................

ख–भवन निर्माण की प्रकृति :–

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन..............................

(दो) अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस/फाइवर या टीनशेड........................

(तीन) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है........

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–भवन निर्माण का वर्ष..

5–पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.................................

सत्यापन

मैं...............................वार्ड......................के मुहल्ला ....में स्थित भवन संख्या........................ /भवन/यू०आई०डी०............................का स्वामी/अध्यासी.................... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य हैं।

दिनांक........................

अनुप्रमाणक साक्षी...

हस्ताक्षर..

नाम...

पिता का नाम..

पूरा पता...

दूरभाष/मोबाइल नं०................................

हस्ताक्षर..

पूरा नाम...

स्थायी पता...

पिन कोड..

दूरभाष/मोबाइल नं०...................................

ई–मेल..

नगर पंचायत महरौनी के कक्ष (वार्ड/मुहल्ला) वार आवासीय/अनावासीय भवन एवं अकृषक भूमि/प्लाट हेतु निर्धारित मासिक कर/किराया (प्रति वर्ग फीट) दरों की सूची

क्र सं	कक्ष का नाम/मुहल्ले का नाम	24 मी० से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन की दरें (प्रति वर्ग फीट पैसे में)				12 मी० से 24 मी० तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन की दरें (प्रति वर्ग फीट पैसे में)				12 मी० से 9 मी० तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन की दरें (प्रति वर्ग फीट पैसे में)				9 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन की दरें (प्रति वर्ग फीट पैसे में)			
		पक्का भवन, RCC छत या RB छत सहित	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड क और ख से आच्छादित नहीं है	भूमि/प्लाट	RCC/RB छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड क और ख से आच्छादित नहीं है	खाली भूमि/प्लाट/अकृषक भूमि	RCC/RB छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड क और ख से आच्छादित नहीं है	खाली भूमि/प्लाट/अकृषक भूमि	RCC/RB छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड क और ख से आच्छादित नहीं है	खाली भूमि/प्लाट/अकृषक भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	अथाईपुरा	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
2	कायस्थपुरा	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14	0.21	0.16	0.14	0.11	0.16	0.12	0.11	0.08
3	कछयाकुंआ	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14	0.21	0.16	0.14	0.11	0.16	0.12	0.11	0.08
4	कायस्थपुरा	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
5	खरवांचपुरा	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14	0.21	0.16	0.14	0.11	0.16	0.12	0.11	0.08
6	खरवांचपुरा	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14	0.21	0.16	0.14	0.11	0.16	0.12	0.11	0.08
7	चौधरीपुरा	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
8	जरूवापुरा	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
9	टीकमगढ रोड	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	टीकमगढ रोड	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
11	टीकमगढ रोड	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
12	नया बाजार	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
13	नवीन सौजनारोड	0.49	0.37	0.33	0.24	0.37	0.27	0.24	0.18	0.27	0.21	0.18	0.14	0.21	0.15	0.14	0.10
14	नया बाजार	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
15	नया सौजना रोड	0.49	0.37	0.33	0.24	0.37	0.27	0.24	0.18	0.27	0.21	0.18	0.14	0.21	0.15	0.14	0.10
16	नया बाजार	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
17	पुराना सौजना रोड	0.39	0.30	0.26	0.20	0.30	0.22	0.20	0.15	0.22	0.17	0.15	0.11	0.17	0.12	0.11	0.08
18	प्रज्ञा नगर	0.67	0.51	0.45	0.34	0.51	0.38	0.34	0.25	0.38	0.28	0.25	0.19	0.28	0.21	0.19	0.14
19	पुराना सौजना रोड	0.39	0.30	0.26	0.20	0.30	0.22	0.20	0.15	0.22	0.17	0.15	0.11	0.17	0.12	0.11	0.08
20	पुराना बाजार	0.70	0.52	0.46	0.35	0.52	0.39	0.35	0.26	0.39	0.29	0.26	0.20	0.29	0.22	0.20	0.15
21	पंडों का पुरा	0.49	0.37	0.33	0.24	0.37	0.27	0.24	0.18	0.27	0.21	0.18	0.14	0.21	0.15	0.14	0.10
22	मण्डी रोड	0.39	0.30	0.26	0.20	0.30	0.22	0.20	0.15	0.22	0.17	0.15	0.11	0.17	0.12	0.11	0.08
23	मलैयापुरा	0.39	0.30	0.26	0.20	0.30	0.22	0.20	0.15	0.22	0.17	0.15	0.11	0.17	0.12	0.11	0.08
24	मलैयापुरा	0.39	0.30	0.26	0.20	0.30	0.22	0.20	0.15	0.22	0.17	0.15	0.11	0.17	0.12	0.11	0.08
25	मण्डी रोड	0.45	0.34	0.30	0.22	0.34	0.25	0.22	0.17	0.25	0.19	0.17	0.13	0.19	0.14	0.13	0.09
26	ललितपुर रोड	0.72	0.54	0.48	0.36	0.54	0.41	0.36	0.27	0.41	0.30	0.27	0.20	0.30	0.23	0.20	0.15
27	लुहरयाना	0.39	0.30	0.26	0.20	0.30	0.22	0.20	0.15	0.22	0.17	0.15	0.11	0.17	0.12	0.11	0.08
28	शेख का कुआ	0.39	0.30	0.26	0.20	0.30	0.22	0.20	0.15	0.22	0.17	0.15	0.11	0.17	0.12	0.11	0.08
29	महरौनी नगरीय क्षेत्र	0.41	0.31	0.27	0.21	0.31	0.23	0.21	0.15	0.23	0.17	0.15	0.12	0.17	0.13	0.12	0.09
30	महरौनी ग्रामीण क्षेत्र	0.53	0.39	0.35	0.26	0.39	0.30	0.26	0.20	0.30	0.22	0.20	0.15	0.22	0.17	0.15	0.11
31	इंदिरा चौराहे से बानपुर चौराहे तक (टीकमगढ़ रोड)	1.82	1.37	1.21	0.91	1.37	1.02	0.91	0.68	1.02	0.77	0.68	0.51	0.77	0.58	0.51	0.38
32	बानपुर चैराहे से टीकमगढ़ रोड पर दालमील तक (टीकमगढ़ रोड)	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	दालमील से टीकमगढ़ रोड पर महरौनी की सीमा आश्रम तक (टीकमगढ़ रोड)	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29
34	बानपुर चौराहे से नया सौजना रोड पर 2 कि0मी0 की सीमा तक	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29
35	सौजना रोड पर 2 किमी0 की सीमा के बाद पाली ग्राम की सीमा शुरू होने तक	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29
36	पुराना सौजना रोड पर अम्बेडकर चौराहा से जामनी नहर की पुलिया तक (पुराना सौजना रोड)	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29
37	इन्दिरा चौराहे से नाराहट रोड पर शांति निकेतन के पास सोनी जी के ट्यूबबैल तक (नाराहट रोड)	1.74	1.31	1.16	0.87	1.31	0.98	0.87	0.65	0.98	0.74	0.65	0.49	0.74	0.55	0.49	0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	इन्दिरा चौराहे से मड़ावरा रोड पर मास्टर कालोनी को शामिल करते हुये नहर तक	1.86	1.39	1.24	0.93	1.39	1.05	0.93	0.70	1.05	0.78	0.70	0.52	0.78	0.59	0.52	0.39
39	इन्दिरा चौराहे ललितपुर रोड पर सिंघई पेट्रोल पम्प तक	1.86	1.39	1.24	0.93	1.39	1.05	0.93	0.70	1.05	0.78	0.70	0.52	0.78	0.59	0.52	0.39
40	सिंघई पेट्रोल पम्प तिराहे से दीनदयाल डिग्री कालेज तक	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29
41	ललितपुर रोड पर शीला के मकान से मण्डी होते हुये डा0 भीमराव अम्बेडकर चैराहा तक (मण्डी रोड)	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29
42	नाराहट रोड पर मुड़िया माइनर से कंचनपुरा मुहल्ले को शामिल करते हुये ललितपुर रोड तक	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29
43	बानपुर चौराहे से नर्सरी तक (बानपुर रोड)	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29
44	नर्सरी से बानपुर सड़क पर जजी से महरौनी की अंतिम सीमा तक	1.36	1.02	0.90	0.68	1.02	0.76	0.68	0.51	0.76	0.57	0.51	0.38	0.57	0.43	0.38	0.29

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, महरौनी, ललितपुर।

कार्यालय नगर पंचायत देवरनियां (बरेली)

20 मार्च, 2020 ई0

सं0 469/न0पं0देव/2019-20—नगर पंचायत देवरनियां जनपद बरेली अपनी सीमा में स्थित शत प्रतिशत भवन व भूमि का सम्पत्ति कर से आच्छादित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 408/नौ-9-10-63ज/95 टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 22 फरवरी, 2010, शासनादेश संख्या 1275/9-9-12—205ज/12 नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ, दिनॉक 10 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या 428/नौ-9-2017-38ज/17 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनॉक 08 जून, 2017 के अनुपालन में नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों पर सम्पत्तिकर गृहकर एवं जलकर के प्रत्येक दो वर्ष में (द्विवार्षिक) कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) व उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 संख्या 2191/नौ-19-85जा/05 टी0सी0-1 लखनऊ, दिनांक 18 सितम्बर, 2019 द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) स्वतःकर निर्धारण नियमावली, 2019 बनायी गई है जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। इस नियमावली/उपविधि पर यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह नियमावली दैनिक जागरण दिनांक 21 मार्च, 2020 के प्रकाशन की तिथि से एक पखबाड़ा अर्थात 15 दिवस के अन्दर कार्यालय को लिखित रूप से अपत्ति प्राप्त करायें। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

नगर पंचायत देवरनियां सीमान्तर्गत स्वकर निर्धारण नियमावली

1—नाम—यह नियमावली स्वः कर निर्धारण नियमावली नगर पंचायत देवरनियां (बरेली के नाम से जानी जायेगी। जिसका तात्पर्य नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) सीमान्तर्गत सम्पत्तियों पर गृहकर एवं जलकर अधिरोपण एवं उद्ग्रहण से है। उक्त गृहकर एवं जलकर नियमावली प्रभावी होने के दिनॉक से नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) में लागू पूर्व गृहकर एवं जलकर नियमावली निष्प्रभावी हो जायेगी।

2—अर्थ—स्वः कर निर्धारण प्रणाली के अन्तर्गत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लिखित भार्तो एवं दरों के आधार पर गणना कर भवन पर कर निर्धारण कर सकेगा।

3—परिभाषाएं—इस नियमवली में—

I. नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, देवरनियां (बरेली) से है।

II. अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) से है।

III. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) से है जो कर निर्धारण अधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी कर निर्धारण भाक्तियों का प्रयोग अपनी अधीनस्थ, कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक अथवा समय-समय पर अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

IV. अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) से है।

V. भवन/भूमि से तात्पर्य नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) की सीमा में स्थित भवन/भूमि से है।

VI. स्वामी का तात्पर्य, नगर पंचायत देवरनियां की सीमान्तर्गत भवन एवं भूमि के स्वामी से है।

VII. अध्यासी का तात्पर्य नगर पंचायत देवरनियां की सीमान्तर्गत भवन एवं भूमि पर अध्यासन करने वाले व्यक्तियों से है।

VIII. स्वः कर निर्धारण से तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश संख्या 408/नौ-9-10-63ज/95टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2020, शासनादेश संख्या 1275/9-9-12—205ज/12 नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या 428/नौ-9-2017-38ज/17 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 08 जून, 2017 के द्वारा समस्त निकायों में लागू किया गया है।

IX. आवासीय भवन से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग/स्वामी/ अध्यासी द्वारा निवास (अध्यासन) के रूप में किया जा रहा हो।

X. व्यावसायिक भवन से तात्पर्य उस भवन से है, जिसका प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में किया जा रहा हो।

XI. मिश्रित भवन से तात्पर्य उस भवन से है, जिसमें आवासीय के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हों।

XII. पक्का भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से जिसकी छत आर0सी0सी0 व आर0बी0सी0 पद्धति से निर्मित हो तथा आधुनिक भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है।

XIII. अन्य पक्का भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी कढ़ी पटियों से निर्मित हो।

XIV. कच्चा भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसकी छत अस्थायी साधनों यथा छप्पर, टीन शेड, प्लास्टिक, लोहा सीमेंट की चादर इत्यादि से निर्मित हो।

XV. मासिक किराया से तात्पर्य इस नियमावली में भवन/भूमि के कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिए निर्धारित प्रति वर्ग फुट किराये से है।

XVI. वार्षिक मूल्य से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 में उल्लिखित वार्षिक मूल्य से है।

XVII. आच्छादित क्षेत्रफल से तात्पर्य कुर्सी के उस निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

XVIII. कारपेट एरिया से तात्पर्य भवन के उस क्षेत्र से है जहां कारपेट बिछाया जा सके।

XIX. मोहल्ले की श्रेणी से तात्पर्य मोहल्ले के विकास की स्थिति, भवनो की स्थिति, नाली, सड़क, खड़ंजा, स्थायी लोगो के रहन-सहन से है।

XX. मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य मार्ग के दोनों ओर स्थित दोनों सरकारी नाली/नाला के बीच की दूरी से है।

XXI. करों का आरोपण एवं उद्ग्रहण का उद्देश्य मात्र सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कर अधिरोपण है। किसी भी प्रकार से स्वामित्व निर्धारिण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

4–वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर आगणित कर से सम्बंधित आधारभूत तथ्य–

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय - समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करायेगें–

(क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वंय कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाये, जमा कर सकता है।

(ख) सर्वेक्षण के दौरान आवासीय और व्यावसायिक भवनों को पृथक-पृथक संख्या आंबटित की जायेगी यदि कोई भवन आवासीय है तो उसको 1-1 आर, 1-2 आर आदि डाले जायेगें तथा यदि व्यावसायिक है तो उसे 1-1 सी, 1-2 सी आदि डाले जायेगें और यदि भवन मिश्रित है तो उसे 1-1 सी आर संख्या डाली जायेगी।

(ग) व्यावसायिक भवनों पर कर निर्धारण नगर पालिका अधिनियम 1916 में उल्लिखित नियमों के अनुसार किया जायेगा

(घ) भवनों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्र पर भरकर नगर पंचायत देवरिनयां (बरेली) के कार्यालय में जमा किया जायेगा और यदि भवन निर्माणाधीन है तो निर्माण पूर्ण होने क 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर विवरण भरकर जमा करना होगा।

(ड.) यदि 15 दिवस के स्व कर निर्धारण प्रणाली के अनुसार भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भरकर नगर पंचायत में जमा नही की जाती है तो नगर पंचायत उक्त सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य आंकलित कर स्वतः ही कर निर्धारित कर देगी जिसे भवन स्वामी/अध्यासी को अनिवार्य रूप से देना हेगा।

5–कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी–

(एक) कक्ष–आतंरिक आयाम की पूर्ण माप,

(दो) आच्छादित बरामदा–आतंरिक आयाम की पूर्ण माप,

(तीन) बाल्कनी, गालियारा, रसोईघर और भण्डार गृह–आतंरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(चार) गैराज– आतंरिक आयाम की चौथाई माप,

अथवा,

कारपेट एरिया–आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग।

नोट–स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

6–कर निर्धारण–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(क) वार्षिक मूल्य का गणना–

वार्षिक मूल्य= कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल दर × 12

या,

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल दर × 12

(ख) **कर निर्धारण दर**–गृहकर वार्शिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

7–करो का भुगतान–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल प्रेशित करेगा जिसमें एक ऐसा दिनॉक निर्दिष्ट होगा जो नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) कार्यालय अथवा उसके अधिसूचित बैंक में नियमानुसार कर का भुगतान किया जायेगा। स्वकर निर्धारण का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। स्वकर निर्धारण का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कर की वसूली की जायेगा कर का भुगतान समय से न करने पर नगर पचांयत देवरनियां (बरेली) उसे नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) एवं 291 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु स्वतन्त्र होगी।

8–स्वतः अध्यासित भवनों के लिए छूट–

(क) 10 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 से 20 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

9–किराये पर उठे आवासीय भवन–

(क) (1) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) 10 से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिशत की जायेगी।

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्शिक मूल्यांकन में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

(ख) किराये पर उठे व्यावसायिक भवन का मूल्यांकन अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तविक किराये या किराया मूल्यांकन जो अधिक हो, से किया जायेगा।

10–व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य–

वह सभी प्रकार की सम्पत्तियां जिन पर किसी प्रकार का व्यवसाय कार्य किया जा रहा हो।

11–औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य–

वह सभी प्रकार की सम्पत्तियां जिन पर किसी प्रकार का औद्योगिक कार्य किया जा रहा हो।

12–निम्नलिखित सम्पत्यिों करों के उदग्रहण से मुक्त होगीं–

(क) मृतको के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि,

(ख) भवनों और भूमि या उनके भाग, जिनका अधिभोग और उपभोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों, अनुसंधान एवं विकास के सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिए किया जाता हो।

(ग) भवन, जिनका उपयोग अनन्य रूप विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में किया जाता हो, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों अथवा न हों,

(घ) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाशित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बंध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हो,

(ड.) किसी स्वामी द्वारा अध्यासिक ऐसा आवासीय भवन जो 30 वर्ममीटर के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका सीमान्तर्गत कोई अन्य भवन न हो।

(च) सेवारत/सेवनिवृत्त सैन्य कर्मचारियों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु प्रयुक्त भवन का सामान्य कर शासनादेश के अधीन होगा।

(छ) समस्त भवन एवं सम्पत्ति जो नगर पंचायत देवरनियां के स्वामित्व में हो।

नोट–परन्तु उक्त सम्पत्तियों में यदि अन्य व्यावसायिक कार्य किया जाता है तो तदानुसार उन पर कर निर्धारण एवं उद्ग्रहण किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–उ0 प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया, अनुबन्धित किराया या युक्ति-युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा बल्कि उसके किराये का निर्धारण उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा, ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

13–जिन भवनों/व्यापारिक भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों के किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर, जलकर का भुगतान करना होगा परन्तु करो के भुगतान से उसका स्वामित्व सिद्ध नहीं होगा।

14–(क) गृहकर एवं जलकर की देयता वार्षिक होगी अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक

(ख) यदि करदाता निर्धारित शर्तो का पालन करते हुये माह अप्रैल से माह जून के मध्य सम्पूर्ण करों का भुगतान निरन्तर तीन वर्षों से लगातार करता आ रहा है तो उसे वर्तमान वर्ष के गृहकर एवं जलकर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ग) लगातार दो वर्ष तक करों का भुगतान न करने पर सम्बन्धित करदाता से 5 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जायेगा।

15–अर्थदंड–उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनिय 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) आदेश करती है कि उपर्युक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लघंन करना दण्डनीय अपराध होगा जिसके जुर्माने की सीमा रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकती है और यदि ऐसा उल्लघंन जारी रहे तो प्रथम दोषसिद्ध होने के दिनॉक के पश्चात् से प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, कि रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन हो सकता है।

16–जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासिक भवन को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में लिया गया हो तो इसके 03 माह के अन्दर प्रपत्र ख में ही पुनः विवरण किया जाना अनिवार्य होगा।

17—जब कभी भवन के कारपेट एरिया/भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो उसके 03 माह के अन्दर यथा स्थिति भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

18—जिन भवनों/भूमि को नगर पंचायत देवरनियां द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र 'क' और 'ख' पर उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व कार्य बकाया है तो प्रपत्र 'क' के अनुसार देय कर एवं कर भी जमा करेगें।

19—मकानों के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियम नगरपालिका विशेष परिस्थितियों में—(क) यदि किसी भवन अथवा भूमि पर जिसका कर आरोपित है बैनामा के आधार पर स्वामित्व हस्तान्तरित होता है तो स्वत्व पाने वाला व्यक्ति या संस्था ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर पंचायत को 03 माह के अन्दर देना अनिवार्य होगा। अन्यथा 03 माह उपरान्त और 01 वर्ष के अन्दर सूचना देने पर बैनामा में अंकित मालियत/सरकारी मूल्यांकित दर की धनराशि का 01 प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा करना हेागा। अन्यथा रु0 50.00 प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क भी देय होगा। तदानुसार नगर पंचायत नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को करदाता की मृत्यु दिनॉक का प्रमाण-पत्र एवं वारिसान प्रमाण पत्र 03 माह के अन्दर उसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में 03 माह उपरान्त और 01 वर्ष के अन्दर उसकी सूचना देने पर अंकन रु0 1,000.00 विलम्ब शुल्क देना होगा। अन्यथा रु0 50.00 प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त शुल्क भी देय होगा। तदानुसार नगर पंचायत नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(ग) यदि कोई भवन/भूमि का हस्तान्रण रजिस्टर्ड वसीयतनामा, मुख्तारनामा (पावर ऑफ अर्टानी), रजिस्टर्ड परिवारिक समझौतानामा/बटवारानामा, मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेशों के आधार पर अन्यथा अन्य आधार जो विहित प्रक्रिया द्वारा होता है तो 03 माह के अन्दर उसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में 03 माह उपरान्त और 01 वर्ष के अन्दर उसकी सूचना देने पर अंकन रु0 1,000.00 विलम्ब शुल्क देना होगा। अन्यथा रु0 50.00 प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त शुल्क भी देय होगा। तदानुसार नगर पंचायत नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

20—मुख्य मार्ग का तात्पर्य—मुख्य मार्ग में वे सभी सड़क आयेंगी, जिसकी चौड़ाई 30 फुट तक है।

21—अन्य मार्ग का तात्पर्य—मुख्य मार्ग से अन्दर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी में जाने वाली सड़के एवं समस्त गलियां अन्य मार्गो में आयेंगी।

22—प्रति वर्ग फुट मासिक किराये का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत देवरनियां, द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रतिवर्ग फुट से है।

23—अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

24—आपत्तियों का निराकरण एवं निस्तारण अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

25—कर निर्धारण सूची/पंजिका में भवन/भूखण्ड के स्वामियों के नामों एवं गृहकर एवं जलकर में परिवर्तन अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

26—नगर पंचायत द्वारा अपने किसी प्रकार के पेयजल संसाधनो से सर्वसाधारण को पेयजल उपलब्ध कराये जाने वाले अधिष्ठान से 200 मीटर अर्द्धव्यास के भीतर सम्पत्तियों पर जलकर का अधिरोपण एवं उद्ग्रहण किया जायेगा। जल मूल्य एवं मीटर किराये का निर्धारण जल सम्भरण एवं जल परिवय नियमावली तथा शासनादेश संख्या 960/नौ-2-2013-95 सा/2009 दिनॉक 26 अप्रैल, 2013 अथवा समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुक्रम में किया जायेगा।

27—अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत देवरनियां (बरेली) को प्रत्येक दो वर्ष में करों कर पुनरीक्षण/पुर्न निर्धारण का अधिकार होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि प्रत्येक दो वर्ष में सम्पत्ति कर, गृहकर एवं जलकर आदि के पुर्ननिर्धारण नहीं हो सका तो अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि कर के करों की वसूली सुनिश्चित करायेंगे।

28—नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक तीन माह में भवनों के नवनिर्माण/परिर्वधन/परिवर्तन स्थिति में कराच्छादन हेतु सर्वे करायेगी तथा उन पर तत्समय प्रचलित दरों पर कर निर्धारण करेगी तथा कर निर्धारण सूची में परिर्वधन करेगी। इस प्रकार परिवर्तित करों का भुगतान स्वामी/अध्यासी द्वारा अनिवार्य रूप से करना होगा।

29—स्व कर निर्धारण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना देनी होगी। गलत सूचना पर अंकन रु0 5,000.00 अर्थदण्ड देना होगा तदानुसार नगरपालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

30—अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत देवरनियां द्वारा अपनी सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों की वार्षिक मूल्यांकन निम्न दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

सम्पत्ति कर (गृहकर व जलकर) स्वमूल्यांकन व्यवस्था का विवरण वर्गवार निर्धारण मासिक किराया दर प्रति वर्ग फुट (रुपये में)

भवन की प्रकृति (फर्श की प्रकृति) (सड़क की चौड़ाई)	पक्का भवन (R.C.C)	पक्का भवन (R.C.C)	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	भूमि/प्लाट
क—(24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	2.00	1.50	1.00	0.75	0.75
ख—(12 से 24 मी0 तक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	1.50	1.00	0.75	0.50	0.50
ग—(12 मी0 से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	1.00	0.75	0.50	0.25	0.50

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत देवरनिया,
बरेली।

NOTICE

This is to intimate that M/s. J. P. Enterprises registered office at 10A, J. P. Nagar, Naini, Prayagraj-211008 has introduces new partners from 1st April 2021, with profit sharing ratio as namely : 1. Mrs. Anju Singh 20%, 2. Mrs. Sangeeta Singh 20%, 3. Mr. Harsh Singh 10%, 4. Mr. Manjeet Singh 10%, 5. Mr. Ravi Kant Singh 10% and old partner Dileep Kumar Singh 20% and Radhey Shyam Singh 10% all above new partners having same address as 10A, J. P. Nagar, Naini, Prayagraj.

DILEEP KUMAR SINGH,
Authorised Partner.

सूचना

यह कि पंजीकृत फर्म मेसर्स सनातन दी सोल आफ म्यूजिक, पता 7/1 ए0डी0ए0 कालोनी 54 अल्लापुर, दारागंज, इलाहाबाद/प्रयागराज के भागीदार श्री रत्नेश दुबे पुत्र फूलचन्द्र दुबे उक्त फर्म से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भागीदारी समाप्त करते हुये दिनांक 28 नवम्बर, 2020 को रिटायर्ड/अलग हो गये हैं तथा श्री अरविन्द मिश्रा पुत्र चन्द्रिका प्रसाद मिश्रा, निवासी 129 तुलारामबाग इलाहाबाद/प्रयागराज उक्त फर्म में दिनांक 28 नवम्बर, 2020 को शामिल हो गये हैं, पृथक हुए भागीदार का अब उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

मेनका मिश्रा,
भागीदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स—भवानी प्रसाद गिरधर लाल, हटिया, कानपुर के विधान में भागीदारी डीड दिनांक 13 सितम्बर, 2010 के अनुसार साझीदार बाबू रामजी प्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 01 अगस्त, 2010 को हो जाने के कारण तथा प्रथम साझीदार बाबू कृष्ण गोपाल के स्वेच्छा से पृथक होने के कारण फर्म की भागीदारी में बाबू गिरीश चन्द्र अग्रवाल व श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल साझीदार हैं तथा फर्म का पता हटिया, कानपुर से दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को गिरधर कुटीर, 7/175, स्वरूप नगर, कानपुर-208002 कर दिया गया है।

बाबू गिरीश चन्द्र अग्रवाल,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 रोशन इन्डस्ट्रीज, कस्बा-जहांनाबाद रोड, रिछा, तह0 बहेड़ी, जिला बरेली पंजीकरण सं0 बी-11865 दिनांक 27 जनवरी, 2009 को फर्म में कुल 4 साझेदार मो0 अकरम, सय्यद अहमद, मो0 जफर व दिलीप कुमार टन्डन थे। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 को फर्म के एक साझेदार मो0 जफर अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे, अब फर्म में कुल 3 साझेदार मो0 अकरम, सय्यद अहमद, व दिलीप कुमार टन्डन है। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को फर्म के साझेदार दिलीप कुमार टन्डन अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे और दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को ही फर्म में एक नये साझेदार कपिल टन्डन फर्म की साझेदारी की शर्तों के अधीन सम्मिलित हुए। इस प्रकार अब फर्म में कुल 3 साझेदार मो0 अकरम, सय्यद अहमद व कपिल टन्डन है।

उपरोक्त अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया था तथा फर्म के साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं।

मो0 अकरम।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 आजाद राईस मिल, कस्बा नदेली रोड, सकरस, तह0 बहेड़ी, जिला बरेली, (उ0प्र0) पंजीकरण संख्या बी-12255, दिनांक 19 जून, 2010 को फर्म में कुल 5 साझेदार श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री अब्दुल मजीद, श्री लईक अहमद पुत्र श्री अब्दुल मजीद, श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री अब्दुल माजिद, श्री मोहम्मद जाबिर पुत्र श्री छुट्टन एवं श्री अंसार अहमद पुत्र श्री हाजी कल्लू थे। दिनांक 19 मई, 2021 को एक साझेदार श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री अब्दुल मजीद की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से बाहर हो गये और उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती राजदा बेगम पत्नी स्व0 अब्दुल खालिक शामिल हो गई। इस प्रकार अब फर्म में कुल 5 साझेदार श्री लईक अहमद पुत्र श्री अब्दुल मजीद, श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री अब्दुल माजिद, श्री मोहम्मद जाबिर पुत्र श्री छुट्टन श्री अंसार अहमद पुत्र श्री हाजी कल्लू एवं श्रीमती राजदा बेगम पत्नी स्व0 अब्दुल खालिक हैं।

उक्त मृतक साझेदार का सारा हिसाब-किताब उनकी पत्नी श्रीमती राजदा बेगम को चुकता कर दिया गया है तथा फर्म के साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं।

लईक अहमद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 एम0 एम0 राईस इन्डस्ट्रीज, रिछा, तह0 बहेड़ी, जिला बरेली पंजीकरण संख्या बी-9851, दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को फर्म में कुल 8 साझेदार मो0 इदरीस, श्रीमती नसीमा बेगम, मो0 आसिफ, मो0 नईम, मो0 सलीम, मो0 तसलीम, मो0 बसीम, व मो0 नसीम थे। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 31 मार्च, 2018 को दो साझेदार मो0 इदरीस व श्रीमती नसीमा बेगम अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे अब फर्म में कुल 6 साझेदार मो0 आसिफ, मो0 नईम, मो0 सलीम, मो0 तसलीम, मो0 बसीम व मो0 नसीम है। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 19 सितम्बर, 2020 को पांच साझेदार मो0 आसिफ, मो0 नईम, मो0 सलीम, मो0 तसलीम व मो0 बसीम अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे व दिनांक 20 सितम्बर, 2020 को फर्म में तीन नये साझेदारों मो0 कादिस, निशा हलीम व श्रीमती रूकसाना बेगम को सम्मिलित किया गया। अब फर्म में कुल 4 साझेदार मो0 नसीम, मो0 कादिस, निशा हलीम व श्रीमती रूकसाना बेगम है।

उपरोक्त अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया था तथा फर्म के साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी है।

मो0 नसीम।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 सुलेमान इन्डस्ट्रीज ग्राम डांडी हमीर, रिछा, तह0 बहेड़ी,

जिला बरेली पंजीकरण संख्या बी-10892, दिनांक 19 मई, 2004 को फर्म में कुल 9 साझेदार मो0 इरफान, मो0 इस्लाम, अबरार अहमद, मो0 जीशान, श्रीमती अख्तरी बेगम, श्रीमती हसीना बेगम, श्रीमती नूरजहां, श्रीमती मैसर जहां व श्रीमती नुसरत जहां थे। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को दो साझेदार मो0 इरफान व मो0 इस्लाम ने अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे तथा फर्म में एक नये साझेदार मो0 आरिफ को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को सम्मिलित किया गया, अब फर्म में कुल 8 साझेदार अबरार अहमद, मो0 जीशान, श्रीमती अख्तरी बेगम, श्रीमती हसीना बेगम, श्रीमती नूरजहां, श्रीमती मैसर जहां, श्रीमती नुसरत जहां एवं मो0 आरिफ है।

उपरोक्त अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया था तथा फर्म के साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं।

मोहम्मद आरिफ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र सूर्याश (SURYANSH) के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश योगेश सैनी (YOGESH SAINI) लिखा हुआ है जबकि मेरा सही नाम योगेश कुमार (YOGESH KUMAR) है मुझे योगेश कुमार के नाम से जाना व समझा जाये।

योगेश कुमार,
पुत्र रामपाल सिंह,
निवासी रामपुर कलां, तहसील बेहट,
जिला सहारनपुर-247129।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 यशोदा डेवलपर्स, बी-618 कमला नगर, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

फर्म के पूर्व भागीदार श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी ए-622 कमला नगर, आगरा का दिनांक 04 मई, 2020 को निधन होने के कारण उनके स्थान पर उनके अधिकृत श्री विवेक अग्रवाल को फर्म की साझेदारी में हिस्सा दिया गया है तथा पूर्व भागीदार श्री कन्हैया लाल अग्रवाल पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी के0ई0 26 कमला नगर, आगरा की मृत्यु दिनांक 21 मार्च, 2021 को होने के कारण इनके अधिकृत श्री वैभव अग्रवाल पुत्र श्री रवि कुमार अग्रवाल, निवासी के0ई0 26 कमला नगर, आगरा को उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान में फर्म में श्री मुरारी लाल अग्रवाल, श्री बनवारी लाल अग्रवाल, श्री विवेक अग्रवाल व श्री वैभव अग्रवाल भागीदार हो गये हैं।

मुरारी लाल अग्रवाल,
भागीदार,
मे0 यशोदा डेवलपर्स,
बी-618 कमला नगर, आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 अजन्ता डेरी, 5, कृष्णा कुन्ज बिहाइन्ड हलवाई की बगीची, आगरा मथुरा रोड, आगरा परिवर्तित पता बी-18/2 फाउण्ड्री, नगर आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

उक्त फर्म के पूर्व भागीदार श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी ए-622 कमला नगर, आगरा का दिनांक 04 मई, 2020 को निधन होने के कारण इनके स्थान पर इनके अधिकृत श्री विवेक अग्रवाल पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार अग्रवाल, निवासी ए–622 कमला नगर, आगरा उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हो गये हैं तथा पूर्व भागीदार श्री कन्हैया लाल अग्रवाल पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी के0ई0 26 कमला नगर, आगरा की मृत्यु दिनांक 21 मार्च, 2021 को होने के कारण इनके अधिकृत श्री वैभव अग्रवाल पुत्र श्री रवि कुमार अग्रवाल, निवासी के0ई0 26 कमला नगर, आगरा एवं पूर्व भागीदार श्री मोहन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी बी-620, कमला नगर, आगरा की मृत्यु दिनांक 10 मई, 2021 को होने के कारण उक्त फर्म की साझेदारी में इनके अधिकृत भागीदार के रूप में श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री मोहन कुमार अग्रवाल, निवासी बी-620 कमला नगर, आगरा, श्री अतिन अग्रवाल पुत्र स्व0 मोहन कुमार अग्रवाल निवासी बी-620 कमला नगर, आगरा तथा श्री अनुज अग्रवाल पुत्र स्व0 मोहन कुमार अग्रवाल, निवासी बी-620 कमला नगर, आगरा भागीदार हो गये हैं एवं श्री श्रेय अग्रवाल पुत्र श्री विवेक अग्रवाल, नि0 ए–622 कमला नगर, आगरा, दिनांक 10 मई, 2021 से नये भागीदार के रूप में उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म

श्री मुरारी लाल अग्रवाल, श्री बनवारी लाल अग्रवाल, श्री विवेक अग्रवाल, श्री वैभव अग्रवाल, श्री पंकज अग्रवाल, श्री अतिन अग्रवाल, श्री अनुज अग्रवाल व श्री श्रेय अग्रवाल भागीदार हो गये हैं।

मुरारी लाल अग्रवाल,
भागीदार,
मे0 अजन्ता डेरी,
5, कृष्णा कुन्ज विहाइन्ड हलवाई की बगीची,
आगरा मथुरा रोड, आगरा,
परिवर्तित पता
बी-18/2 फाउण्ड्री, नगर आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कमल ओवरसीज पता ए-3/24, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 सूरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया साईट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0-201306 के साझीदार 1—श्री प्रीतफुल साध का आक्समिक देहान्त 26 अप्रैल, 2021 ई0 में हो गया है। रिकोन्सिटयूटशन ऑफ पार्टनरशीप डीड दिनांक 18 मई, 2021 द्वारा सभी साझीदारों ने आपसी सहमती से उनके हिस्से को उनके पुत्र व विधिक वारिस फर्म पार्टनर श्री आलोक साध की हिस्सेदारी में सम्मिलित करते हुये शेष साझीदारों के मध्य ही फर्म के संचालन का निर्णय लिया है। फर्म के वर्तमान साझीदार श्री विक्रान्त, प्रशान्त साध व आलोक साध है व वर्तमान साझीदारों के पते में परिवर्तन किये गये हैं।

विक्रान्त साध,
साझीदार,
मेसर्स कमल ओवरसीज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "अग्रवाल कनस्ट्रक्शन्स", मस्जिद कैथ, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को श्री निशान्त गर्ग पुत्र श्री श्रीनिवास गर्ग, निवासी 136/5, जागृति विहार कालोनी, मेरठ व श्री तरूण अग्रवाल पुत्र श्री प्रवेश कुमार, निवासी अपो0 विजया बैंक, राहे-रजा रोड, सिविल लाइन्स, रामपुर व श्री प्रखर अग्रवाल पुत्र श्री प्रवेश कुमार, निवासी अपो0 विजया बैंक, राहे-रजा रोड, सिविल लाइन्स रामपुर शामिल हो गये हैं तथा दिनांक 08 नवम्बर, 2015 को श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री हरीश चन्द, निवासी मस्जिद कैथ, जिला रामपुर का देहान्त हो गया था तथा दिनांक 08 नवम्बर, 2015 को निशान्त गर्ग पुत्र श्री श्रीनिवास गर्ग, निवासी 136/5, जागृति विहार कालोनी, मेरठ रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म में कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में पांच पार्टनर श्री प्रवेश कुमार, श्री हरीश चन्द्र, श्रीमती बीना अग्रवाल, श्री तरूण अग्रवाल व श्री प्रखर अग्रवाल रह गये हैं।

प्रवेश कुमार,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन्स,
मस्जिद कैथ, जिला रामपुर (यू0पी0)।

पी0एस0यू0पी0—34 हिन्दी गजट—भाग 8—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।